रीना कुमारी @रीना देवी @रीना

बनाम

दिनेश कुमार महतो @दिनेश कुमार महतो और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 161/2025)

10 जनवरी 2025

[संजीव खन्ना, मुख्य न्यायाधीश और संजय कुमार, न्यायाधीशगण]

विचार के लिए मुद्दा

क्या कोई पति, जो वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री प्राप्त करता है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 (4) के आधार पर अपनी पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने से मुक्त होगा, यदि उसकी पत्नी उक्त डिक्री का पालन करने और वैवाहिक घर लौटने से इनकार करती है।

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 125 (4) - के तहत अयोग्यता, जब आकर्षित नहीं-पत्नी का रखरखाव का अधिकार धारा 125, आपराधिक न्याय प्रक्रिया संहिता -हिंदू विवाह अधिनियम, 1955- धारा 9- प्रतिवादी संख्या . 1- पति द्वारा प्राप्त वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री-याचिकाकर्ता -पत्नी द्वारा इसका पालन न करना - यदि धारा 125 (4) के तहत अयोग्यता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होगा।

निर्णय: नहीं - केवल पति के कहने पर वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री का पारित होना और पत्नी द्वारा उसका पालन न करना, अपने आप में, धारा 125 (4) के तहत अयोग्यता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा या उसके भरण-पोषण के अधिकार का सीधा निर्धारक नहीं होगा-यह उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तय किए जाने वाले प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि ऐसी डिक्री के बावजूद, क्या पत्नी के पास अभी भी अपने पति के साथ रहने से इनकार करने का वैध और पर्याप्त कारण था - बहाली डिक्री 23.04.2022 को पारित किया गया था-स्वीकार्य रूप से, 2017 के बाद सुलह का कोई प्रयास नहीं किया गया था-हालांकि, बहाली डिक्री को सुरक्षित करने के बाद, उत्तरदाता संख्या 1 ने कुछ भी नहीं किया-उन्होंने न तो डिक्री के निष्पादन या तलाक की डिक्री की मांग की - उत्तरदाता

संख्या 1 द्वारा बनाया गया गतिरोध उसकी ईमानदारी की कमी को दर्शाता है और अपनी पत्नी के प्रति सभी जिम्मेदारियों को नकारने के उसके प्रयास को दर्शाता है - अपने बच्चे के गर्भपात का सामना करने के बाद याचिकाकर्ता की पूरी तरह से अनदेखी करने के उसके आचरण ने उसके वैवाहिक घर में दुर्व्यवहार के कारण उसकी पीड़ा को और बढ़ा दिया- उत्तरदाता संख्या 1 का यह स्वीकार करना कि उसने उसके उपचार का व्यय वहन नहीं किया और उसका यह अविवादित कथन कि वह उसे अस्पताल नहीं ले गया था या यहां तक कि उसे देखने के लिए रांची से भी नहीं आया था, उसके प्रति होने वाली पीड़ा और मानसिक क्रूरता का स्पष्ट संकेत था - इसलिए, क्षतिपूर्ति आदेश के बावजूद, उसके पास अपने वैवाहिक घर नहीं लौटने का उचित कारण था - याचिकाकर्ता के पास उत्तरदाता संख्या 1 के समाज से दूर रहने का पर्याप्त कारण था-इसलिए, उसके साथ रहने से इनकार, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री के पारित होने के बावजूद, उसके खिलाफ नहीं ठहराया जा सकता है - दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (4) के अधीन अयोग्यता इस प्रकार आकर्षित नहीं थी - उच्च न्यायालय ने उसी अभिनिर्णय को लागू करने में त्रुटि की कि याचिकाकर्ता परिवार न्यायालय द्वारा उसे दिए गए भरण-पोषण का हकदार नहीं था - विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया-परिवार न्यायालय के आदेश को बहाल किया गया। [अनुच्छेद 29,35,37-39]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-भरण-पोषण कार्यवाही-प्रकृतिः

निर्णय: यदि भरण-पोषण के भुगतान के आदेश का पालन न करने पर भी सिविल न्यायालय के अन्य फरमानों की तरह दंडात्मक परिणाम भुगतने पड़ते हैं, तो भी ऐसी कार्यवाहियां दंडात्मक कार्यवाहियों के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगी या आपराधिक कार्यवाहियां नहीं बनेंगी-दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शुरू की गई भरण-पोषण कार्यवाहियों का नामकरण, जैसा कि उन प्रावधानों में पाया गया है, ऐसी कार्यवाहियों की प्रकृति के बारे में निर्णायक नहीं ठहराया जा सकता है। [अनुच्छेद 30]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- रखरखाव-सांविधिक योजना-पर चर्चा की गई। [अनुच्छेद 8,9]

शब्द और वाक्यांश-मानसिक क्रूरता; "रेम में निर्णय"; "व्यक्तिगत रूप से निर्णय"-साक्ष्य अधिनियम, 1872- धाराएं 40-43-भारतीय साक्ष्या अधिनियम, 2023- धाराएं . 34-37-चर्चा। [अनुच्छेद 32,33,36]

न्यायिक निर्णय जिन्हें उद्धृत किया गया

चतुर्भुज बनाम सीता बाई, 2007 आईएनएससी 1190: [2007] 12 एससीआर 577: (2008) 2 एससीसी 316; भुवन मोहन सिंह बनाम मीना और अन्य, 2014 में आई. एन. एस. सी 490: [2014] 8 एससीआर 858: (2015) 6 एस. सी. सी. 353; बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे औरअन्य, 2013 आई. एन. एस. सी 703: [2013] 10 एससीआर 259: (2014) 1 एससीसी 188; रजनीश बनाम नेहा और अन्य 2020 का आयोजन आई. एन. एस. सी 631: [2020] 13 एससीआर 1093: (2021) 2 एससीसी 324; शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान, 2015 आईएनएससी 283: [2015] 4 एससीआर 137: (2015) 5 एससीसी 705; कीर्तिकांत डी. वडोदरा बनाम गुजरात राज्य और अन्य [1996] सप. 2 एससीआर 45: (1996) 4 एससीसी 479; अमृता सिंह बनाम रतन सिंह और अन्य (2018) 17 एससीसी 737; शांति कुमार पांडा बनाम शकुंतला देवी, 2003 आई. एन. एस. सी 596: [2003] सप. 5 एससीआर 98: (2004) 1 एससीसी 438; एमएसटी। जागीर कौर और अन्य बनाम जसवंत सिंह (1964) 2 एससीआर 73: एआईआर 1963 एससी 1521; इकबाल सिंह मारवाह और अन्य बनाम मीनाक्षी मारवाह और अन्य [2005] 2 SCR 708: (2005) 4 SCC 370; K.G. प्रेमशंकर बनाम पुलिस निरीक्षक और अन्य [2002] सप. 2 एससीआर 350: (2002) 8 एससीसी 87; कैप्टन रमेश चंदर कौशल बनाम श्रीमती वीणा कौशल और अन्य [1978] 3 एससीआर 782: (1978) 4 एससीसी 70; परवीन मेहता बनाम इंदरजीत मेहता (2002) 5 एससीसी 706; रोहताश सिंह बनाम रामेंद्री (श्रीमती) और अन्य, 2000 आई. एन. एस. सी 115: [2000] 2 एस. सी. आर. 58: (2000) 3 एस. सी. सी. 180-निर्दिष्ट।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; साक्ष्य अधिनियम, 1872; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; भारतीय साक्षी अधिनियम, 2023।

मुख्य शब्दों की सूची

वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री; गैर-अनुपालन; रखरखाव; समाप्त; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125; पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 (4) के तहत अयोग्यता; पारिवारिक न्यायालय; पुनर्स्थापन के लिए मुकदमा; पति के साथ रहने से इनकार; इनकार/त्याग; सुलह; सद्भावनाप की कमी; वैवाहिक घर; मानसिक क्रूरता; अपनी पत्नी के प्रति जिम्मेदारी; गर्भपात; दुर्व्यवहार; उचित कारण; पर्याप्त कारण से अधिक; पति के समाज से दूर रहें; रखरखाव की कार्यवाही; नामकरण; आपराधिक कार्यवाही; मानसिक क्रूरता; "संदर्भ में निर्णय"; "व्यक्तिगत रूप से निर्णय"।

से उत्पन्न हुआ मामला

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील संख्या 161/2025 रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 04.08.2023 से सीआरआर संख्या 440/2022

पक्षकारों के लिए उपस्थिति

सुश्री मोहिनी प्रिया, सुश्री सायेशा गंभीर, अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए।

अनूप कुमार, सुश्री प्रज्ञा चौधरी, श्रीमती नेहा जयस्वाल, शिवम कुमार, सुश्री श्रुति सिंह, वैभव प्रसाद देव, विष्णु शर्मा, सुश्री मधुस्मिथा बोरा, शिव राम शर्मा, पवन किशोर सिंह, दीपांकर सिंह, श्रीमती अनुपमा शर्मा, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

फैसला

संजय कुमार, न्यायाधीश

1. अनुमति दे दी गई।

2. क्या कोई पति, जो वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री प्राप्त करता है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 (4) के आधार पर अपनी पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने से मुक्त हो जाएगा, यदि उसकी पत्नी उक्त डिक्री का पालन करने से इनकार करती है और वैवाहिक घर लौट जाती है?

3. इस दिलचस्प प्रश्न का उत्तर झारखंड उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने दिनांक 04.08.2023 के आपराधिक संशोधन संख्या 440/2022 2022 का 440 में पीड़ित, रीना कुमारी @रीना देवी @रीना, पत्नी, अपील में है।

4. याचिकाकर्ता रीना और उत्तरदाता संख्या 1 दिनेश कुमार महतो @दिनेश कुमार महतो की शादी दिनांक 01/05/2014 को हुई थी। अगस्त, 2015 में वे अलग हो गए और रीना अपने माता-पिता के घर रहने लगी। मूल (एम.टी.एस.) वाद संख्या 495/2018 हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत पारिवारिक न्यायालय, रांची के समक्ष 20.07.2018 को

दिनेश द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए स्थापित किया गया था। रीना ने 25.04.2019 को अपना लिखित बयान दाखिल करके मुकदमा लड़ा। दिनेश ने दावा किया कि रीना 21.08.2015 को वैवाहिक घर से निकली थी और उसके बाद वापस नहीं लौटी। उसके अनुसार, अगस्त और अक्टूबर, 2017 के दौरान उसे वापस लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता बहुत बूढ़े थे और उनकी देखभाल करने की जरूरत थी लेकिन रीना ऐसा करने के लिए वहां नहीं थी। इसके विपरीत, रीना ने जोर देकर कहा कि उसे दिनेश द्वारा यातना और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा, जिसने एक चार पहिया वाहन खरीदने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की। उसने आरोप लगाया कि उसके विवाहेतर संबंध थे। इसके अलावा, उसने कहा कि उसे 28.01.2015 को गर्भपात हुआ था, लेकिन दिनेश रांची में अपने कार्यस्थल से उसे देखने भी नहीं आया था और यह उसका भाई था जो उसे चिकित्सा देखभाल के लिए धनबाद ले गया था। उसने दावा किया कि यह दिनेश ही था जिसने उसे रक्षा बंधन के अवसर पर अगस्त, 2015 में अपने माता-पिता के घर जाने के लिए राजी किया और उसके बाद उसने कभी भी उसे वापस लाने की कोशिश नहीं की। उसने दावा किया कि वह वह थी जो वर्ष 2017 में अपने रिश्तेदारों के साथ अपने वैवाहिक घर गई थी, लेकिन उन्हें लौटने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि दिनेश और उसके परिवार के सदस्यों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। उसने कहा कि अगर दिनेश कार खरीदने के लिए पैसे की मांग नहीं करता है और अगर उसके और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है तो वह अपने वैवाहिक घर लौटने के लिए तैयार है। उसकी आगे की शर्तें थीं कि उसे घर में वॉशरूम/शौचालय का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे पहले ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, और उसे भोजन तैयार करने के लिए एलपीजी स्टोव का उपयोग करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे लकड़ी और कोयले का उपयोग करके ऐसा करना पड़ता था। उन्होंने अपने लिखित बयान को यह कहते हुए समाप्त किया कि दिनेश द्वारा दायर क्षतिपूर्ति का मुकदमा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के प्रभाव से खुद को बचाने के लिए एक उपकरण के अलावा और कुछ नहीं था और प्रार्थना की कि मुकदमे को लागत के साथ खारिज कर दिया जाए। रीना, उपरोक्त लिखित बयान दाखिल करने के बावजूद, उसके बाद परिवार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रही।

5. दिनांक 23.04.2022 के निर्णय द्वारा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश-II, अतिरिक्त परिवार न्यायालय, रांची ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दिनेश के मुकदमे का फैसला सुनाया। इसमें, यह नोट किया गया था कि दिनेश ने अपनी पत्नी को केवल एक बार वापस

लाने का प्रयास किया था, लेकिन अपने गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, परिवार न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वह पति और पत्नी के रूप में उसके साथ रहना चाहता था। चूंकि रीना द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया था, इसलिए परिवार की अदालत ने उसके खिलाफ उसके आरोप के संबंध में फैसला सुनाया कि दिनेश ने एक कार खरीदने के लिए ₹5 लाख की मांग की और उसके और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार और यातना के आरोप लगाए। उसकी दो शर्तों के बारे में, परिवार न्यायालय ने कहा कि दिनेश झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड में एक कनिष्ठ लाइनमैन था और उसने कहा कि उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी पत्नी को भोजन तैयार करने के लिए एक एलपीजी चूल्हा उपलब्ध कराएगा। यह मत व्यक्त करते हुए कि एक पत्नी के लिए अपने पति के समाज से अलग होने के लिए वैवाहिक जीवन के सामान्य पतन से कुछ अधिक गंभीर होना चाहिए, परिवार न्यायालय ने दिनेश के पक्ष में निर्णय दिया। हालाँकि, उन्हें अपनी पत्नी का सम्मान और गरिमा सुनिश्चित करने और यह देखने का निर्देश दिया गया था कि खाना पकाने और शौचालय सुविधाओं के संबंध में उनकी शर्तों का पालन किया जाए। रीना को दो महीने के भीतर दिनेश के साथ वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया। मान लीजिए, रीना ने इस आदेश का पालन नहीं किया।

6. गौरतलब है कि इस बीच, 10.08.2018 को रीना ने शिकायतवाद मामला संख्या 3270/2018 दिनेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 498क के तहत शिकायत दर्ज कराई। । इसके परिणामस्वरूप, उन्हें जेल भेज दिया गया और परिणामस्वरूप उन्हें कुछ समय के लिए सेवा से निलंबित कर दिया गया। मामला लंबित बताया जा रहा है। इसके बाद, 03.08.2019 को, रीना ने मूल रखरखाव मामला संख्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग करने वाले दिनेश के खिलाफ 454/2019 (संक्षिप्तता के लिए, 'सीआरपीसीआई') इस मामले को विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, धनबाद द्वारा अनुमति दी गई थी, आदेश दिनांक 15.02.2022, जो, पुनर्स्थापन के लिए दिनेश के मुकदमे के डिक्रिटल से पहले का है। इसमें, परिवार न्यायालय ने दिनेश के इस रुख पर ध्यान दिया कि वह रीना को पूरी गरिमा के साथ रखने के लिए तैयार और इच्छुक था, लेकिन साक्ष्य के आधार पर यह माना कि वह भरण-पोषण की हकदार थी। दिनेश की पे-स्लिप (प्रदर्श-3) से पता चला कि वह बिजली बोर्ड में एक जूनियर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था और 62,000/- के सकल वेतन से कटौती के बाद उसका शुद्ध वेतन 43,211/- था। पारिवारिक न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पर्याप्त साधन होने के बावजूद दिनेश ने अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की उपेक्षा की थी, जो अपने दम पर अपनी जरूरतें पूरी करने में असमर्थ थी।

तदनुसार याचिका को स्वीकार कर लिया गया और दिनेश को रखरखाव के लिए रीना को प्रति माह 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। इस तरह के रखरखाव को आवेदन की तारीख, जो, 03.08.2019 से देय रखा गया था, और बकाया को दो महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

7. इस आदेश को चुनौती देते हुए दिनेश ने आपराधिक संशोधन संख्या 440/2022 झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया। एक विद्वान न्यायाधीश ने दिनांक 04.08.2023 के आक्षेपित निर्णय द्वारा पुनरीक्षण की अनुमति दी। इसमें, विद्वान न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि रीना, जिसे अभियोजन साक्षी -1 के रूप में अपदस्थ किया गया था, से दिनेश ने जिरह भी नहीं की थी। इसी तरह, उसकी और से पेश होने वाले अन्य दो गवाहों से भी जिरह नहीं की गई। अपने बयान में, रीना ने जोर देकर कहा कि वह काम नहीं कर रही थी और इसकी पुष्टि उसके भाई दिलीप कुमार महतो (अभियोजन साक्षी-3) ने की, जिन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से उस पर निर्भर थी। दिनेश ने अपनी खुद की जिरह में इस बात से इनकार किया कि उसके हमले के कारण उसकी पत्नी का गर्भपात हुआ था। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने दहेज में 5 लाख रुपये की मांग की थी। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि रीना का गर्भपात हुआ था और इस संबंध में उन्होंने कोई खर्च नहीं उठाया था। दिनेश की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि वह रीना को ₹5,000/- प्रति माह का भुगतान करने के लिए तैयार है, लेकिन भरण-पोषण याचिका दायर करने की तारीख से नहीं, क्योंकि उस अवधि के दौरान उसे न्यायिक हिरासत में होने के कारण सेवा से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि मूल (एमटीएस) मुकदमा संख्या 495/2018 में 23.04.2022 के फैसले में एक विशिष्ट निष्कर्ष था कि रीना ने अपने पति की समाज से बिना किसी उचित बहाने के वापस ले लिया था और वह वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए उक्त डिक्री के बावजूद वैवाहिक घर में नहीं लौटी थी, जिसे उसने अपील के माध्यम से चुनौती देने के लिए भी नहीं चुना था। इसलिए, विद्वान न्यायाधीश ने तर्क दिया कि धारा 125 (4) सीआरपीसी वह दिनेश की सहायता के लिए आएगा और परिणामस्वरूप, रीना भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी। इसलिए, विद्वान न्यायाधीश ने पुनरीक्षण की अनुमति दी।

8. गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, वैधानिक योजना पर ध्यान देना उचित होगा। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय IX का शीर्षक 'पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश' है और इसमें धारा 125 से 128 शामिल हैं। धारा 125 (1) सीआरपीसी इस आशय का उपबंध करता है कि यदि कोई

पर्याप्त साधन रखने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी या निर्धारित श्रेणियों में आने वाले अपने वैध या अवैध बच्चों या अपने माता-पिता की उपेक्षा करता है या उनका भरण-पोषण करने से इनकार करता है, जो सभी अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, तो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या अस्वीकृति के प्रमाण पर ऐसे व्यक्ति को उनके भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है, जो उचित समझा जाए। विशेष रूप से, धारा 125 सीआरपीसीयह हाल की उत्पत्ति का नहीं है। यह पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 488 के अनुरूप है।

9. 24 सितंबर, 1969 को प्रस्तुत अपनी 41वीं रिपोर्ट में, भारत के विधि आयोग ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 488 का समर्थन करते हुए कहा कि पत्नियों और बच्चों के भरण-पोषण से संबंधित प्रावधानों को, जो कि एक दीवानी मामला है, दंड प्रक्रिया संहिता में रखने का प्राथमिक औचित्य यह था कि उन्हें सिविल न्यायालयों में उपलब्ध उपचार की तुलना में त्वरित और अधिक किफायती उपाय प्रदान किया गया है। विधि आयोग ने उल्लेख किया कि इस प्रावधान का उद्देश्य भुखमरी और भटकाव को रोकना था, जिससे अपराध होता है।

10. इसी तर्ज पर, चतुर्भुज बनाम सीता बाई[1] में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि भरण-पोषण कार्यवाही का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसकी उपेक्षा के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि एक परित्यक्त पत्नी को भोजन, कपड़े और आश्रय प्रदान करके उसे शीघ्र उपचार प्रदान करना है। यह माना गया था कि धारा 125 सीआरपीसी यह सामाजिक न्याय का एक उपाय है, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा प्रबलित अनुच्छेद 15 (3) के संवैधानिक दायरे में आता है। इस प्रकार, प्रावधान का उद्देश्य, तब और अब, बेसहारा पत्नियों, बच्चों और अब, माता-पिता की वित्तीय दुर्दशा को कम करना है, जो खुद के लिए छोड़ दिए गए हैं।

11. भुवन मोहन सिंह बनाम मीना और अन्य[2] में इस न्यायालय ने कहा कि धारा 125 सीआरपीसी एक महिला की पीड़ा, पीड़ा और वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए कल्पना की गई थी, जिसने प्रावधान में दिए गए कारणों के लिए अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था, ताकि न्यायालय द्वारा कुछ उपयुक्त व्यवस्था की जा सके और वह खुद को और अपने बच्चों को भी बनाए रख सके, अगर वे उसके साथ हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जीविका की अवधारणा का आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि 'एक पशु का जीवन व्यतीत करना, एक व्यक्ति की तरह महसूस करना कि उसे अनुग्रह से दूर फेंक दिया जाए और अपने बुनियादी

भरण-पोषण के लिए कहीं और घूमना पड़े' और पत्नी को उसी तरह जीवन जीने का अधिकार होगा जैसे वह अपने पति के घर में रहती। इस न्यायालय ने आगे आगाह किया कि, इस प्रकार की कार्यवाही में, पति को पत्नी को गरिमा के साथ रहने के लाभों से वंचित करने के लिए छल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और बचने का कोई मार्ग नहीं हो सकता है, जब तक कि न्यायालय से कोई आदेश न हो कि पत्नी कानूनी रूप से अनुमत आधारों पर पति से भरण-पोषण प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

12. इससे पहले, बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे और अन्य मामले में, इस न्यायालय ने कहा था कि भरण-पोषण के प्रावधान का उद्देश्य बेसहारा लोगों को सशक्त बनाना और सामाजिक न्याय या व्यक्ति की समानता और गरिमा प्राप्त करना है और इसके तहत मामलों से निपटने के दौरान, प्रतिकूल मुकदमेबाजी से सामाजिक संदर्भ में निर्णय लेने के दृष्टिकोण में उतार-चढ़ाव समय की आवश्यकता है। हाल ही में, रजनीश बनाम नेहा और एक अन्य[4] में इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आश्रित पत्नियों और बच्चों को उनकी वित्तीय सहायता के लिए सहारा प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय के उपाय के रूप में रखरखाव कानून बनाए गए थे, ताकि उन्हें अभाव और पलायन में पड़ने से रोका जा सके।

13. शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान[5] में इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि धारा 125 सीआरपीसी के पीछे अंतर्निहित और मौलिक सिद्धांत। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ मानसिक पीड़ा और पीड़ा है जो एक महिला को तब होती है जब उसे अपना वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। यह आगे देखा गया कि, कानून के अनुसार, वह उसी तरह से जीवन जीने की हकदार है जैसे वह अपने पति के घर में रहती थी और जब तक वह धारा 125 सीआरपीसी के मापदंडों के भीतर भरण-पोषण के अनुदान की हकदार है, यह पर्याप्त होना चाहिए ताकि वह गरिमा के साथ रह सके। अंत में, यह नोट किया गया था कि, कभी-कभी पति द्वारा एक याचिका दायर की जाती है कि उसके पास भुगतान करने का साधन नहीं है क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है या उसका व्यवसाय अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन ये केवल कोरे बहाने हैं और वास्तव में, उनके पास एक पति के रूप में कानून में कोई स्वीकार्यता नहीं है, जो स्वस्थ, सक्षम है और खुद का समर्थन करने की स्थिति में है, अपनी पत्नी का समर्थन करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत है और धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार, जब तक कि अयोग्य नहीं है, एक पूर्ण अधिकार है।

14. इस तरह की अयोग्यता, एक अपवाद के रूप में, पुरानी संहिता की धारा 488 (4) के तहत परिकल्पना की गई थी, जिसे धारा 125 (4) सीआरपीसी में लगभग शाब्दिक रूप से दोहराया गया है। यह इस प्रकार हैः "धारा 125 (4) कोई भी पत्नी [रखरखाव या अंतरिम रखरखाव और कार्यवाही के खर्चों के लिए भत्ता, जैसा भी मामला हो] प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, [2001 के अधिनियम 50 द्वारा प्रतिस्थापित," भत्ता "के लिए धारा 2 (प्रभाव में 24-9-2001)] इस धारा के अधीन अपने पति से, यदि वह व्यभिचार में रह रही है, या यदि, बिना किसी पर्याप्त कारण के, वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं।

15. मुद्दा, वर्तमान में, धारा 125 (4) सीआरपीसी की प्रयोज्यता पर बदल जाता है। हाथ पर मामला। यह प्रश्न कि क्या एक पत्नी द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री का पालन न करना धारा 125 (4) सीआरपीसी के कारण उसके भरण-पोषण से इनकार करने के लिए अपने आप में पर्याप्त होगा, कई उच्च न्यायालयों द्वारा संबोधित किया गया है, लेकिन कोई सुसंगत दृष्टिकोण नहीं है।

16. के. नारायण राव बनाम भाग्यलक्ष्मी[6] में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय धारा 125 सीआरपीसी के तहत रखरखाव के दावे पर विचार कर रहा है। वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री की सावधानीपूर्वक जांच और विचार करना है जिसका पत्नी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, लेकिन यह उसमें सभी निष्कर्षों से बाध्य नहीं होगा, जिसमें प्रश्नों पर निष्कर्ष शामिल हैं, जैसे कि, क्या पत्नी पति के समाज से अलग हो गई है; उसकी ओर से त्याग; या वह एक व्यभिचारी जीवन व्यतीत कर रही है। फखरुद्दीन शम्सुद्दीन सैयद बनाम बाई जेनाब[7] का संदर्भ दिया गया था, जिसमें बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि मजिस्ट्रेट को 'अपने विवेकाधिकार का समर्पण' केवल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि पति वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री से लैस था।

17. सम्पूरन सिंह बनाम बलदेव कौर और अन्य[8] में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि एक पत्नी अभी भी वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री की उपस्थिति में भरण-पोषण का दावा कर सकती है यदि पति का आचरण ऐसा है जो उसे डिक्री का पालन करने से रोकता है।

18. अमीना मोहम्मडाली खोजा बनाम मोहम्मडाली रामजनाली खोजा और अन्य[9] में बंबई उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि भरण-पोषण का आदेश हमेशा एक पत्नी के पक्ष में पारित

किया जा सकता है, भले ही उसके पति ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री प्राप्त की हो, जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता है कि वह जानबूझकर अपने पति को छोड़ देती है और उचित कारण या पर्याप्त कारण के बिना उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी। तथ्यों पर, यह पाया गया कि अभिलेख से यह नहीं पता चलता कि पत्नी ने पति को छोड़ दिया था और बिना उचित कारण या पर्याप्त कारणों के उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। यह आगे नोट किया गया कि डिक्री प्राप्त करने के बाद, पति ने डिक्री को संतुष्ट करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया था क्योंकि उसने यह देखने के लिए कोई वास्तविक, ईमानदार और ईमानदार प्रयास नहीं किया था कि उसकी पत्नी उसके पास वापस आए। इसलिए, यह माना गया कि वह केवल वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक कागजी डिक्री में रुचि रखते थे, जिसे उन्होंने एकतरफा प्राप्त किया था।

19. केरल उच्च न्यायालय ने कवुंगल कूप्पाक्कट्टू जीनाथ बनाम मुंडाक्कट्टू सुल्फिकार अली[10] में उल्लेख किया कि धारा 125 (4) सीआरपीसी में प्रयोग की गई अभिव्यक्ति। यह 'इनकार' है और पति के साथ रहने में 'विफलता' नहीं है और यह कि दोनों के बीच स्पष्ट रूप से कुछ अंतर है। यह माना गया था कि 'विफलता' का अर्थ कुछ ऐसा नहीं करना होगा जो किसी से करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन 'इनकार' का अर्थ यह कहना या दिखाना होगा कि कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा या स्वीकार करेगा जो पेश किया गया है। वास्तव में, यदि कोई पति कहता है कि वह पत्नी के लिए कुछ करने को तैयार है, लेकिन वह बताती है या दिखाती है कि वह कुछ नहीं चाहती है या स्वीकार करती है जो उसे दिया जाता है, तो ही इनकार किया जाता है।

20. सुबल दास बनाम मौसमी साहा (दास) और अन्य [11] में त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने कहा कि एक पत्नी जो वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री का पालन करने से इनकार करती है, उसे धारा 125 (4) सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह देखा गया कि यह मान लेना असंगत होगा कि एक पत्नी जिसके खिलाफ क्षतिपूर्ति के लिए एक डिक्री पारित की गई है, वह भरण-पोषण से वंचित है, जबकि एक पत्नी जो तलाकशुदा है, वह अभी भी उसी का दावा कर सकती है। यह आगे देखा गया कि सिविल कोर्ट के पुनर्स्थापन के फैसले को केवल प्रासंगिक साक्ष्य सामग्री के रूप में माना जा सकता है, लेकिन पत्नी का आचरण, जो, क्या उसके पास पति के साथ रहने से इनकार करने का पर्याप्त कारण था, मजिस्ट्रेट द्वारा मूल्यांकन किया जाना है और उसके बाद ही, यह तय किया जा सकता है कि वह रखरखाव का हकदार होगा या नहीं। यह निष्कर्ष निकाला गया कि

धारा 125 (4) सीआरपीसी द्वारा लगाया गया प्रतिबंध काफी हद तक पतला किया गया था, अगर वस्तुतः नकार नहीं किया गया था।

21. बबीता बनाम मुन्ना लाल[12] में दिल्ली उच्च न्यायालय ने राय दी कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक एकतरफा डिक्री धारा 125 सीआरपीसी के तहत पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार को स्वचालित रूप से समाप्त नहीं करेगी। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि, भले ही ऐसा मामला पत्नी द्वारा लड़ा जाता है और पति के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, उसके गैर-अनुपालन को भरण-पोषण से इनकार करने के आधार के रूप में लिया जा सकता है, बशर्ते कि न्यायालय सबूत के आधार पर संतुष्ट हो कि पत्नी के पास पति से दूर रहने के लिए कोई उचित आधार नहीं था। इसलिए, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री की उपस्थिति को एक पत्नी को भरण-पोषण का दावा करने से वंचित करने के लिए अपर्याप्त माना गया था, यदि पति का आचरण ऐसा है कि वह इस तरह के डिक्री का पालन करने में असमर्थ है या यदि पति ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि वह उसके साथ नहीं रह सकती है। यहां तक कि एक तलाकशुदा पत्नी भी धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का हकदार है। और किसी पत्नी को भरण-पोषण से केवल इसलिए इनकार करना अनुचित और अनुचित होगा क्योंकि उसने पर्याप्त आधार होने के बावजूद पति के साथ रहने से इनकार कर दिया था।

22. श्री मुदस्सिर बनाम शिरीन और अन्य में[13] बम्बई उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि पति की ओर से पत्नी के साथ सहवास करने की केवल तैयारी और इच्छा ही उसे भरण-पोषण का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, यह कहते हुए कि पत्नी ने बिना पर्याप्त कारण के अपनी कंपनी छोड़ दी। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि आधार पति से दूर रहने वाली पत्नी और बच्चों को न्यायोचित ठहराते हैं, तो धारा 125 (4) सीआरपीसी कोई आवेदन नहीं होगा।

23. श्रीमती में अपने हाल के फैसले में एस. आर. अश्विनी बनाम जी. हरीश[14] कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत रखरखाव के अनुदान को रोकने के लिए कानून में कुछ भी नहीं है। भले ही पति द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री सुरक्षित हो। यह नोट किया गया था कि, अधिक से अधिक, ऐसी डिक्री पति को पत्नी द्वारा शुरू की गई भरण-पोषण कार्यवाही में उस बचाव को लेने में सक्षम बनाएगी, लेकिन न्यायालय के लिए, उसे भरण-पोषण से इनकार करने का यह एकमात्र कारक नहीं होगा।

परिणाम में, यह माना गया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक याचिका। वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री से प्रभावित हुए बिना, स्वतंत्र रूप से अपने गुणों पर विचार किया जा सकता है। यह आगे कहा गया था कि, भले ही वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री है, और पत्नी अभी भी वैवाहिक घर में शामिल होने का विकल्प नहीं चुनती है जो स्वैच्छिक इनकार/त्याग के बराबर नहीं होगा जो धारा 125 सीआरपीसी के तहत रखरखाव के लिए उसके दावे को रोक देगा।

24. दूसरी ओर, गुजरात उच्च न्यायालय ने गिरीशभाई बाबूभाई राजा बनाम श्रीमती. हंसाबेन गिरिशचंद्र और अन्य[15] ने कहा कि जब सिविल कोर्ट पत्नी को अपने पति के साथ रहने और अपने वैवाहिक दायित्वों को पूरा करने का आदेश देता है, तो यह माना जाता है कि उसके पास पति से दूर रहने और अपने संबंधित वैवाहिक दायित्वों को पूरा करने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है।

25. इसी तरह का दृष्टिकोण हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा हेम राज बनाम उर्मिला देवी और अन्य में लिया गया था[16] जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि, एक बार एक सिविल कोर्ट ने एक विवादित कार्यवाही में पाया कि पत्नी के पास पति से अपनी समाज को वापस लेने का कोई उचित या उचित कारण नहीं था, वह धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती है। तथ्यों के आधार पर यह देखा गया कि पत्नी ने किसी भी बाद की घटना या परिस्थिति का अनुरोध नहीं किया था जो उसके खिलाफ पारित वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री के बावजूद उसे अपने पति से दूर रहने को उचित ठहराती हो।

26. उसी तर्ज पर, रवि कुमार बनाम संतोष कुमारी[17] में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने कहा कि एक पत्नी जिसके खिलाफ सिविल कोर्ट द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पारित की गई है, वह धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा करने का हकदार नहीं होगी। यदि प्रतिदान की कार्यवाहियों में इस बारे में कोई विशिष्ट मुद्दा तैयार किया गया था कि क्या पत्नी ने पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया था और पक्षों को साक्ष्य देने का अवसर दिया गया था, जिस पर सिविल न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर पत्नी के खिलाफ विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किए गए थे। हालाँकि, यह जोड़ा गया था कि यदि पति को पुनर्स्थापन के लिए एक पक्षीय डिक्री मिली है, तो ऐसी डिक्री धारा 125 सीआरपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने

वाले आपराधिक न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं होगी। यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि पति द्वारा धारा 125 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित भरण-पोषण के आदेश के बाद पति द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री प्राप्त की गई थी, तो डिक्री वास्तव में पत्नी को उसके भरण-पोषण के अधिकार से वंचित नहीं करेगी और पति को भरण-पोषण देने वाले आदेश को रद्द करने के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क करना होगा।

27. अब, इस बिंदु पर इस न्यायालय के निर्णयों की ओर मुड़ते हुए, कीर्तिकांत डी. वडोदरा बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य[18] में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 125 सीआरपीसी विधायिका के इरादे को पूरा करने और प्राप्त करने के लिए एक उदार निर्माण दिया जाना चाहिए और इसलिए, पत्नी के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री का पारित होना, धारा 125 (1) सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण के उसके अधिकार को पराजित नहीं करेगा। यह आगे देखा गया कि अपने पति के साथ रहने में पत्नी की केवल 'विफलता' उसे उससे भरण-पोषण प्राप्त करने से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, विशेष रूप से क्योंकि प्रासंगिक प्रावधान में सावधानीपूर्वक चुना गया महत्वपूर्ण शब्द 'इनकार' है।

28. अमृता सिंह बनाम रतन सिंह और अन्य[19] में इस न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर अभिनिर्धारित किया कि पति की यह दलील कि उसकी पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के उसे छोड़ दिया था और वह उसे वापस लेने के लिए तैयार था, इस तथ्य से गलत साबित हुई कि पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया और दहेज की लगातार मांग की गई, जिसके परिणामस्वरूप उसे वैवाहिक घर से निकाल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप वह पति और उसके पिता की सजा के अंत में आईपीसी की धारा 498ए के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर हुई। पत्नी को पति के साथ शामिल नहीं होने के लिए उचित आधार माना गया था, जिससे वह भरण-पोषण का हकदार बन गई।

29. इस प्रकार, न्यायिक विचार की प्रधानता धारा 125 सीआरपीसी के तहत पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार को बनाए रखने के पक्ष में है। और पति के कहने पर वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री का मात्र पारित होना और पत्नी द्वारा उसका अनुपालन न करना, अपने आप में, धारा 125 (4) सीआरपीसी के तहत अयोग्यता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और यह सामग्री और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तय करना होगा कि क्या इस तरह के आदेश के बावजूद पत्नी

के पास अभी भी अपने पति के साथ रहने से इनकार करने का वैध और पर्याप्त कारण था। इस संबंध में कोई कठोर और त्वरित नियम नहीं हो सकता है और यह हमेशा प्रत्येक विशेष मामले में प्राप्त होने वाले विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए। किसी भी स्थिति में, पति द्वारा प्राप्त वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री और पत्नी द्वारा उसका गैर-अनुपालन धारा 125 (4) सीआरपीसी के तहत उसके भरण-पोषण के अधिकार या अयोग्यता की प्रयोज्यता के बारे में सीधे निर्धारक नहीं होगा।

30. एक अन्य तर्क जो हमारे सामने आग्रह किया गया था वह यह है कि परिवार न्यायालय द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए निर्णय में निष्कर्ष, एक सिविल कोर्ट होने के नाते, धारा 125 सीआरपीसी के तहत याचिका को जब्त करने वाले न्यायालय पर बाध्यकारी होंगे, क्योंकि उन्हें आपराधिक कार्यवाही के रूप में माना जाना है। इस विशिष्ट तर्क का उल्लेख करने की आवश्यकता है ताकि इसे पूरी तरह से खारिज किया जा सके। निःसन्देह, शांति कुमार पांडा बनाम शकुंतला देवी[20] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आपराधिक न्यायालय का निर्णय सिविल न्यायालय को बाध्य नहीं करेगा जबकि सिविल न्यायालय का निर्णय आपराधिक न्यायालय को बाध्य करेगा। हालांकि, रखरखाव की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति की होती है और दंड प्रक्रिया संहिता में इससे संबंधित प्रावधानों को शामिल करने का कारण सितंबर, 1969 में भारत के विधि आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया था। महत्वपूर्ण रूप से, बहुत पहले 1963 में, एमएसटी। जागीर कौर और अन्य बनाम जसवंत सिंह [21] इस न्यायालय की एक 3-न्यायाधीश पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 488 के अधीन कार्यवाही, धारा 125 सीआरपीसी के पूर्ववर्ती, सिविल कार्यवाहियों की प्रकृति में हैं; उपचार, एक संक्षिप्त होने के नाते; और उस उपचार की मांग करने वाला व्यक्ति, आमतौर पर एक असहाय व्यक्ति है। इसलिए, भले ही भरण-पोषण के भुगतान के आदेश का पालन न करने पर दंडात्मक परिणाम होते हैं, जैसा कि सिविल कोर्ट के अन्य फरमानों में हो सकता है, ऐसी कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही के रूप में योग्य या नहीं होगी। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शुरू की गई भरण-पोषण कार्यवाहियों का नामकरण, जैसा कि उन प्रावधानों में पाया जाता है, ऐसी कार्यवाहियों की प्रकृति के बारे में निर्णायक नहीं माना जा सकता है।

31. इसके अलावा, इकबाल सिंह मारवाह और अन्य बनाम मीनाक्षी मारवाह और अन्य मामले में, इस तर्क पर विचार करते हुए कि दीवानी और आपराधिक न्यायालयों के बीच निष्कर्षों के टकराव से बचने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, एक संविधान पीठ ने कहा कि न तो

कोई वैधानिक प्रावधान है और न ही कोई कानूनी सिद्धांत है कि एक कार्यवाही में दर्ज निष्कर्षों को अंतिम या बाध्यकारी माना जा सकता है, क्योंकि दोनों मामलों का।

3 2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, अपराध में निर्णयों और व्यक्तिगत निर्णयों के बीच अंतर करता है और उसमें धारा 40 से 43 विभिन्न स्थितियों में बाद की कार्यवाहियों में मौजूदा निर्णयों, आदेशों या फरमानों की प्रासंगिकता निर्धारित करती है। तैयार संदर्भ के लिए प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे निकाला गया हैः

40. दूसरे मुकदमे या मुकदमे पर रोक लगाने के लिए प्रासंगिक पिछले निर्णयः –

किसी निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व जो विधि द्वारा किसी न्यायालय को किसी वाद का संज्ञान लेने या विचारण आयोजित करने से रोकता है, एक प्रासंगिक तथ्य है जब प्रश्न यह है कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे वाद का संज्ञान लेना चाहिए या ऐसा विचारण आयोजित करना चाहिए।

41. प्रोबेट, आदि, अधिकारिता में कुछ निर्णयों की प्रासंगिकताः - प्रोबेट, वैवाहिक नौसेना या दिवालिया अधिकारिता के प्रयोग में किसी सक्षम न्यायालय का अंतिम निर्णय, आदेश या डिक्री, जो किसी व्यक्ति को कोई कानूनी चरित्र प्रदान करता है या उससे छीन लेता है, या जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे चरित्र का हकदार घोषित करता है, या किसी विशिष्ट चीज़ का हकदार होने के लिए, किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी तरह से, प्रासंगिक है जब ऐसी किसी कानूनी चरित्र का अस्तित्व, या किसी ऐसी चीज़ के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का खिताब प्रासंगिक है।

ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री निर्णायक प्रमाण है-

कि कोई भी कानूनी चरित्र, जिसे वह उस समय उपार्जित करता है जब ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री अमल में आई थी; कि कोई भी कानूनी चरित्र, जिसके लिए वह किसी ऐसे व्यक्ति को हकदार घोषित करता है, उस व्यक्ति को उस समय उपार्जित किया गया जब ऐसा निर्णय, [आदेश या डिक्री] उस व्यक्ति को उपार्जित होने की घोषणा करता है;

कि कोई भी कानूनी चरित्र जो वह किसी ऐसे व्यक्ति से छीन लेता है, उस समय समाप्त हो गया जब से ऐसा निर्णय, [आदेश या डिक्री] घोषित करता है कि वह समाप्त हो गया था या समाप्त होना चाहिए;

और यह कि कोई भी चीज जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को इस तरह का हकदार घोषित करता है, उस समय उस व्यक्ति की संपत्ति थी जब से ऐसा निर्णय, [आदेश या डिक्री] घोषित करता है कि वह उसकी संपत्ति थी या होनी चाहिए।

42. धारा 41 में उल्लिखित निर्णयों, आदेशों या फरमानों के अलावा अन्य निर्णयों, आदेशों या फरमानों की प्रासंगिकता और प्रभावः - धारा 41 में उल्लिखित निर्णयों, आदेशों या फरमानों के अलावा अन्य निर्णय, आदेश या फरमान प्रासंगिक हैं यदि वे जांच से संबंधित सार्वजनिक प्रकृति के मामलों से संबंधित हैं; लेकिन ऐसे निर्णय, आदेश या फरमान उस बात का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं जो वे कहते हैं।

दृष्टांतः

ए ने बी पर अपनी भूमि पर अतिक्रमण के लिए मुकदमा दायर किया। बी भूमि पर मार्ग के सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व का आरोप लगाता है, जिसे ए नकारता है। उसी भूमि पर अतिक्रमण के लिए सी के विरुद्ध ए के वाद में प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व, जिसमें सी ने मार्ग के समान अधिकार के अस्तित्व का आरोप लगाया था, प्रासंगिक है, लेकिन यह निर्णायक प्रमाण नहीं है कि मार्ग का अधिकार मौजूद है।

43. निर्णय, आदि, धारा 40 से 42 में उल्लिखित निर्णयों के अलावा, जब प्रासंगिक हों। - धारा 40,41 और 42 में उल्लिखित निर्णयों, आदेशों या फरमानों के अलावा अन्य निर्णय, आदेश या फरमान अप्रासंगिक हैं, जब तक कि इस तरह के निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व जारी तथ्य नहीं है, या इस अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों के तहत प्रासंगिक है।

दृष्टांत

(क) ए और बी अलग-अलग मानहानि के लिए सी पर मुकदमा करते हैं जो उनमें से प्रत्येक पर प्रतिबिंबित होता है। प्रत्येक मामले में सी कहता है कि मानहानिकारक होने का आरोप लगाया गया मामला सच है, और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यह संभवतः प्रत्येक मामले में सच है, या दोनों में से किसी में भी नहीं।

ए इस आधार पर हर्जाने के लिए सी के खिलाफ एक डिक्री प्राप्त करता है कि सी अपना औचित्य बनाने में विफल रहा। तथ्य बी और सी के बीच अप्रासंगिक है।

(ख) ए, बी पर सी, ए की पत्नी के साथ व्यभिचार के लिए मुकदमा चलाता है। बी इस बात से इनकार करता है कि सी ए की पत्नी है, लेकिन अदालत बी को व्यभिचार का दोषी ठहराती है।

इसके बाद, सी पर ए के जीवनकाल के दौरान बी से शादी करने में द्विविवाह के लिए मुकदमा चलाया जाता है। सी का कहना है कि वह कभी ए की पत्नी नहीं थी। बी के खिलाफ निर्णय सी के खिलाफ अप्रासंगिक है।

(ग) ए बी पर उससे गाय चुराने का मुकदमा चलाता है, बी को दोषी ठहराया जाता है। बाद में ए उस गाय के लिए सी पर मुकदमा करता है, जिसे बी ने उसकी सजा से पहले उसे बेच दिया था। ए और सी के बीच, बी के खिलाफ निर्णय अप्रासंगिक है।

(घ) ए ने बी, सी, बी के पुत्र के खिलाफ भूमि के कब्जे के लिए एक डिक्री प्राप्त की थी, जिसके परिणामस्वरूप ए की हत्या कर दी गई थी। निर्णय का अस्तित्व अपराध के लिए उद्देश्य दिखाने के रूप में प्रासंगिक है।

[(ङ.) ए पर चोरी का आरोप लगाया जाता है और पहले चोरी का दोषी ठहराया गया है। पिछली सजा एक तथ्य के रूप में प्रासंगिक है।

(च) ए पर बी की हत्या के लिए मुकदमा चलाया जाता है। यह तथ्य कि बी ने ए पर मानहानि का मुकदमा चलाया और ए को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, धारा 8 के तहत प्रासंगिक है जो मुद्दे में तथ्य के उद्देश्य को दर्शाता है।

निर्णय उसमें दिए गए साक्ष्य के आधार पर किया जाना है।

33. भारत साक्ष्या अधिनियम, 2023 की धारा 34 से 37 कुछ संशोधनों के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 40 से 43 के अनुरूप है। धारा 41, जैसा कि ऊपर दिए गए निष्कर्ष से स्पष्ट है, विशेष रूप से ऐसे उदाहरणों से संबंधित है जहां पूर्व निर्णय, आदेश या डिक्री निर्णायक प्रमाण का गठन करती है, जबकि धारा 42 में यह प्रावधान है कि पूर्व निर्णय प्रासंगिक है यदि यह जांच से संबंधित सार्वजनिक प्रकृति के मामलों से संबंधित है, लेकिन ऐसे निर्णय, आदेश या फरमान उस बात का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं जो वे कहते हैं। इन प्रावधानों पर K.G में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विस्तार से विचार किया

गया था। प्रेमशंकर बनाम पुलिस निरीक्षक और अन्य, 23 इस संदर्भ में कि कब सिविल कार्यवाही में कार्रवाई के एक ही कारण पर कोई निर्णय आपराधिक मामले में प्रासंगिक होगा, और यह इस प्रकार देखा गयाः

"30. उपर्युक्त चर्चा से जो निकलता है वह यह है कि-(1) पूर्व निर्णय जो अंतिम है, उस पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से धारा 43 के अधीन उपबंधित किए गए उपबंधों के अनुसार भरोसा किया जा सकता है; (2); (3); (4) यदि दांडिक मामला और सिविल कार्यवाहियां एक ही कारण के लिए हैं, तो सिविल न्यायालय का निर्णय प्रासंगिक होगा यदि धारा 40 से धारा 43 में से किसी की शर्तों को पूरा किया जाता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 41 में उपबंधित किए जाने के अतिरिक्त वही निर्णायक होगा। धारा 41 में यह प्रावधान है कि कौन सा निर्णय उसमें जो कहा गया है उसका निर्णायक प्रमाण होगा। 31. इसके अलावा, पूर्व सिविल कार्यवाही में पारित निर्णय, आदेश या डिक्री, यदि प्रासंगिक है, जैसा कि धारा 40 और 42 या साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत प्रदान किया गया है, तो प्रत्येक मामले में, अदालत को यह तय करना होगा कि वह किस हद तक बाध्यकारी या निर्णायक है। ... इसलिए, प्रत्येक मामले में, पहला प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता होगी-क्या निर्णय, आदेश या डिक्री प्रासंगिक है, यदि प्रासंगिक है-इसका प्रभाव। यह एक सीमित उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हो सकता है, जैसे कि उद्देश्य या मुद्दे में एक तथ्य के रूप में। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।
इस न्यायालय के निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि दीवानी कार्यवाही में गुण-दोष पर पारित निर्णयों को अभियोजन का सामना कर रहे व्यक्ति को उसी आधार पर आरोपमुक्त करने या बरी करने के लिए पर्याप्त कारण के रूप में स्वीकार किया गया है। यह उक्ति विशेष रूप से उन मामलों में लागू होती है जहां नागरिक निर्णय कार्यवाही, जैसे कर मामलों में, अधिकारियों द्वारा अभियोजन की शुरुआत की जाती है। हालाँकि, ऐसे मामले अलग हैं क्योंकि दीवानी कार्यवाही और शुरू किए गए अभियोजन के बीच सीधा संबंध है। अभियोजन की ओर ले जाने वाले तथ्य और आरोप सीधे दीवानी कार्यवाही के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, दीवानी कार्यवाही में सबूत का मानक संभावनाओं की एक प्रमुखता है, जबकि आपराधिक अभियोजन में, दोषसिद्धि के लिए उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता होती है। हमें नहीं लगता कि उक्त सिद्धांत को धारा 125 सीआरपीसी के तहत रखरखाव के लिए कार्यवाही पर लागू किया जा सकता है। वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक आवेदन पर एक दीवानी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा करके। इसके अलावा, दोनों कार्यवाहियां पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी नहीं हैं, इस अर्थ में

कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत कार्यवाहियां। वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कार्यवाही से उत्पन्न नहीं होते हैं।

34. बहुत पहले, कैप्टन रमेश चंदर कौशल बनाम श्रीमती वीणा कौशल और अन्य में, इस न्यायालय ने कहा कि यह दावा करना वैध है कि सिविल कोर्ट द्वारा नागरिक अधिकार का अंतिम निर्धारण आपराधिक न्यायालय द्वारा दिए गए समान निर्णय के खिलाफ प्रबल होगा, लेकिन यह माना गया कि यह सिद्धांत तब लागू नहीं होगा जब हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत दिए गए भरण-पोषण की बात आती है, जबकि धारा 125 सीआरपीसी के तहत दिए गए भरण-पोषण के विपरीत। यह नोट किया गया कि बाद वाला प्रावधान सामाजिक न्याय का एक उपाय था जिसे विशेष रूप से अनुच्छेद 39 द्वारा प्रबलित अनुच्छेद 15 (3) के संवैधानिक दायरे में आने वाली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था।

35. इस प्रकार देखे जाने पर, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कार्यवाही में निष्कर्ष, जो आंशिक रूप से निर्विरोध थे क्योंकि रीना अपना लिखित बयान दाखिल करने के बाद साक्ष्य प्रस्तुत करने या अपना मामला आगे बढ़ाने के लिए परिवार न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई थी, इस मुद्दे को स्वीकार नहीं किया और उच्च न्यायालय को उक्त निर्णय और उसके निष्कर्षों को इस तरह का अनुचित महत्व नहीं देना चाहिए था। इस प्रक्रिया में, कुछ महत्वपूर्ण कारकों की अनदेखी की गई। विशेष रूप से, तथ्य यह है कि गवाह जो धारा 125 सीआरपीसी में रीना की ओर से पेश हुए। कार्यवाही की जिरह भी नहीं की गई थी। इससे यह स्पष्ट था कि दिनेश ने जो कहा था उसका विरोध या खंडन भी नहीं किया था। इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि रीना पूरी तरह से अपने भाई पर निर्भर थी। इसके अलावा, जनवरी, 2015 में रीना के गर्भपात के प्रमाण के रूप में दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखे गए थे। इस संबंध में, दिनेश का यह स्वीकार करना कि वह उसके इलाज का खर्च वहन नहीं करता था और उसका यह कहना कि वह उसे अस्पताल नहीं ले गया था या यहां तक कि उसे देखने के लिए रांची से भी नहीं आया था, उसके साथ हुई पीड़ा और मानसिक क्रूरता का स्पष्ट संकेत था। तथ्य यह है कि उसे घर में शौचालय का उपयोग करने या वैवाहिक घर में खाना पकाने के लिए उचित सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति नहीं थी, जो तथ्य बहाली की कार्यवाही में स्वीकार किए गए थे, उनके साथ दुर्व्यवहार के और संकेत हैं।

36. उल्लेखनीय रूप से, परवीन मेहता बनाम इंदरजीत मेहता, 25 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मानसिक क्रूरता एक पति या पत्नी की मन की स्थिति और भावना

है जो दूसरे द्वारा व्यवहार पैटर्न के कारण होती है और शारीरिक क्रूरता के विपरीत, मानसिक क्रूरता को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा स्थापित करना मुश्किल है। यह देखा गया कि एक पति या पत्नी में दूसरे के आचरण के कारण होने वाली पीड़ा, निराशा और हताशा की भावना की सराहना केवल उन उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों का संचयी मूल्यांकन करने पर की जा सकती है जिनमें दोनों पति या पत्नी रह रहे हैं। मानसिक क्रूरता के मामले में, इस न्यायालय के अनुसार, अलग से दुर्व्यवहार का उदाहरण लेना और फिर यह सवाल उठाना सही दृष्टिकोण नहीं होगा कि क्या ऐसा व्यवहार मानसिक क्रूरता का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि अभिलेख पर साक्ष्य से उभरने वाले तथ्यों और परिस्थितियों का संचयी प्रभाव लिया जाए और फिर एक उचित निष्कर्ष निकाला जाए कि क्या पति/पत्नी को दूसरे के आचरण के कारण मानसिक क्रूरता का शिकार होना पड़ा है।

37. इस मानक को लागू करते हुए, अपने बच्चे के गर्भपात का सामना करने के बाद अपनी पत्नी रीना की पूरी तरह से अनदेखी करने में दिनेश का आचरण, उसके वैवाहिक घर में दुर्व्यवहार के कारण उसकी पीड़ा को बढ़ाने वाली कहावत का अंतिम पुआल रहा होगा। इसलिए, क्षतिपूर्ति आदेश के बावजूद, उसके पास अपने वैवाहिक घर नहीं लौटने का उचित कारण था। इसके अलावा, उसके बाद की घटनाएं या उनकी कमी प्रासंगिक है। क्षतिपूर्ति आदेश 23.04.2022 को पारित किया गया था। मान लीजिए, 2017 के बाद सुलह का कोई प्रयास नहीं किया गया था। हालाँकि, उक्त क्षतिपूर्ति आदेश प्राप्त करने के बाद, दिनेश ने कुछ नहीं किया! उन्होंने न तो आदेश XXI नियम 32 सीपीसी के तहत डिक्री के निष्पादन की मांग की और न ही उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1ए) (ii) के तहत तलाक की डिक्री की मांग की।

38. इसका कारण इकट्ठा होने के लिए दूर नहीं है। रोहतास सिंह बनाम रामेंद्री (श्रीमती) और अन्य[26] इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक पत्नी, जो अपने पति को छोड़ने के आधार पर तलाक की डिक्री का सामना करना पड़ा, धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का हकदार नहीं होगा। जब तक विवाह अस्तित्व में था, लेकिन धारा 125 (1) सीआरपीसी के स्पष्टीकरण (बी) में 'पत्नी' की परिभाषा के आलोक में, तलाकशुदा पत्नी का दर्जा प्राप्त करने के बाद वह इस तरह के भरण-पोषण की हकदार होगी। इसलिए, दिनेश ने रीना द्वारा भरण-पोषण के दावे से खुद को बचाने के लिए अवज्ञाकारी क्षतिपूर्ति डिक्री को बचाव के रूप में पेश किया और जब तक वह तलाकशुदा पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं करती, तब तक वह सुरक्षा उसके लाभ के लिए बनी रहेगी। दिनेश द्वारा बनाया गया यह गतिरोध स्पष्ट रूप से उनकी

ईमानदारी की कमी को दर्शाता है और अपनी पत्नी रीना के प्रति सभी जिम्मेदारियों को नकारने के उनके प्रयास को दर्शाता है। संचयी रूप से लिए जाने पर ये कारक स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि रीना के पास अपने पति दिनेश के समाज से दूर रहने के लिए पर्याप्त से अधिक कारण थे, और वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री पारित होने के बावजूद, उसके साथ रहने से इनकार करना, इसलिए, उसके खिलाफ नहीं ठहराया जा सकता है। नतीजतन, धारा 125 (4) सीआरपीसी के तहत अयोग्यता। उच्च न्यायालय ने इसे लागू करने और यह अभिनिर्धारित करने में गंभीर त्रुटि की कि रीना परिवार न्यायालय द्वारा उसे दिए गए भरण-पोषण की हकदार नहीं थी।

39. तदनुसार, रांची में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक संशोधन संख्या 440/2023 में दिनांक 04.08.2023 में पारित निर्णय को अपास्त करते हुए अपील की अनुमति दी गई है। परिणामस्वरूप, दिनांक 15.02.2022 का आदेश, मूल भरण-पोषण मामला संख्या 454/2019 बहाल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, दिनेश, प्रतिवादी संख्या 1, प्रत्येक कैलेंडर माह की 10 तारीख को या उससे पहले अपीलकर्ता रीना को ₹10,000/- प्रति माह की दर से भरण-पोषण का भुगतान करेगा। इस तरह के रखरखाव का भुगतान रखरखाव आवेदन, जो, 03.08.2019 दाखिल करने की तारीख से किया जाएगा। रखरखाव के बकाया का भुगतान दिनेश द्वारा तीन समान किश्तों में किया जाएगा, अर्थात, पहली किस्त 30.04.2025 तक, दूसरी किस्त 31.08.2025 तक और तीसरी और अंतिम किस्त 31.12.2025 तक।

इन परिस्थितियों में, पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

मामले का परिणामः अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद (मदन मोहन प्रिय),पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।